13.5.23

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में
पेश हुई। वकील पक्षकारान उप0। सुलहनामा
की ओर से जवाब पेश किया गया, जिसके
अनुसार प्रकरण में प्रस्तावित प्रभावित नहीं है
मुताबिक राजीनामा
वकील पक्षकारान द्वारा
वाद डिक्री किये जाने की सहमति प्रदान
की गई, अतः लोक अदालत की
भावना से, तथा पत्रावली पर विद्यमान
तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन करने
पर वादीगण का वाद स्वीकार किये

व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाने योग्य पाया जाता है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है, तदनुसार डिक्री पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

–:: न्यायालय उपजिला कलेक्टर(राष्ट्रीय लोक अदालत) सांगोद ::–

बइजलास दिव्यराज सिंह चूडावत (आर.ए.एस.)

मिसल न0 143 / 2023 तारीख दायरा:– 12/12/2022

बउनवान

1. भरतराज पुत्र गौरीशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तह0 सांगोद
2. मैनका पुत्री गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0 सांगोद
3. रतनबाई पत्नी स्व0 गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0सांगोद

जिला कोटा राजस्थान। – वादीगण–

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थिति:–
वादीगण की ओर से:– श्री बहादुर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीन01की ओर से:– श्री जितेन्द्र सुमन एडवोकेट
प्रतिवादी न02 की ओर से :– पैरोकार सरकार।

–:: **निर्णय** ::– दिनांक:– 13.5.2023

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी न01 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खातास0 नई 51 के खसरान0 108 की 0.62हेक्टर, खसरा न015 की 0.32 हेक्टर, खसरा न0222 की 0.81हेक्टर, खसरा न0 224 की 1.00हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44हेक्टर कुल 5 किता की 3.19हेक्टर आराजी स्थित है।उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी न01 की पैतृक पुश्तेनी आराजी है, जिसमे वादीगण का संयुक्त रूपसे 1/2हिस्सा व प्रतिवादी न01 का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी न01 मौके पर वर्षो पूर्व हुए आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारे अनुसार शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे है, और बंटवारे अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी न01 ने बंटवारा कर रखा है, जो निम्न प्रकार है:–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला– कोटा

2...

पारिवारिक बंटवारा

अ. वादीगण भरतराज, मैनका, रतनबाई के हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजीः—

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
डोबडी	नई 51	222	0.81हेक्टर सम्पूर्ण
		224	1.00हेक्टर सम्पूर्ण

कुल 2 किता की कुल 1.81हेक्टर आराजी

ब. प्रतिवादीन01 राधेश्याम के हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजीः—

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
डोबडी	नई 51	108	0.62 हेक्टर
		15	0.32हेक्टर
		35	0.44हेक्टर

कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी

यहकि वादीगण व प्रतिवादीन01 के पूर्वजो के समय से उपरोक्त वर्णित अनुसार पारिवारिक विभाजन कर बंटवारे मे आराजी प्राप्त कर ली है, जिसका प्रथक प्रथक अपने अपने हिस्से व कब्जे मे आयी आराजी को शांति पूर्वक काश्त कर रहे है, उक्त बंटवारा आराजी की उपजाऊ क्षमता व अच्छी बुरी के आधार पर मूल्यांकन करके की गई है, जिससे वादीगण व प्रतिवादी न01 के पूर्वज व वादीगण व प्रतिवादीन01 पूर्ण रूपसे सन्तुष्ट है, तथा बंटवारा मे आराजी प्राप्त होने के बाद अपने अपने हिस्से मे आयी आराजी पर काफी पैसा खर्च करके विकास कार्य करवाया है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड मे शामलाती खाता होने से वादीगण को अपने हिस्से व कब्जे मे प्राप्त आराजी पर स्थाई विकास करवाने व अनुदान सहायता राशि प्राप्त करने मे काफी परेशानी होती है, जिससे वादीगण द्वारा प्रतिवादी न01 से तहसील कार्यालय मे चलकर मौके पर बंटवारे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज करवाने की कहने पर प्रतिवादी न01 सहयोग नही कर रहे है, तथा टालमटूल कर रहे है, ऐसी स्थिति मे वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है, कि वे माननीय न्यायालय मे घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सहायता प्राप्त करे, जिसके लिए माननीय न्यायालय मे उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, जिसमे प्रतिवादीन01 की तलबी होने पर प्रतिवादीन01 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त वर्णित अनुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है, तथा वादीगण व प्रतिवादीन01 द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत मे राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर उक्त वाद डिकी किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है।तथा प्रतिवादीन02 की तलबी की गई, जिसमे प्रतिवादीन02 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर राजहित

जिस्ट्रेट
ला- कोटा

प्रभावित नही होने से वादी का वाद स्वीकार करने मे सहमति प्रदान की है, तदुपरान्त बहस वादीगण सुनी गई, जिसमे वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराया गया, तथा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने की प्रार्थना की गई।

बहस वादीगण सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, तथा पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्य व दस्तावेजो का अवलोकन करने से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है, जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपमे डिक्री किया जाता है।

–:: निर्णय ::–

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम रूपसे डिक्री किया जाता है, तथा आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादी न01 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 51 के खसरान0 108 की 0.62हेक्टर, खसरा न015 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 222 की 0.81हेक्टर, खसरा न0 224 की 1.00हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44हेक्टर कुल 5 किता की 3.19हेक्टर आराजी का पीढियो पुराने पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त वाद पत्र की मद न02 मे वर्णित अनुसार माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0222 की 0.81हेक्टर, खसरान0224 की 1.00हेक्टर, कुल 2 किता की1.81हेक्टर आराजी का वादीगण को बांट बराबर से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व शेष माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0 108 की 0.62हेक्टर, खसरा न0 15 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44 हेक्टर कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी का प्रतिवादीन01 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता हैः–

अ. वादीगण भरतराज, मैनका, रतनबाई के बांट बराबर हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजीः–

	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
माल ग्राम डोबडी	नई 51	222	0.81हेक्टर सम्पूर्ण
		224	1.00हेक्टर सम्पूर्ण

कुल 2 किता की कुल 1.81हेक्टर आराजी

ब. प्रतिवादीन01 राधेश्याम के हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजीः–

	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
माल ग्राम डोबडी	नई 51	108	0.62 हेक्टर
		15	0.32हेक्टर
		35	0.44हेक्टर

कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी

मजिस्ट्रेट
ला- कोटा

उक्त घोषणा के अनुक्रम मे आराजी का बंटवारा किया जाकर राज लगान प्रथक प्रथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है।, इस आशय की घोषणा, विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाती है। उक्त आराजी पर वादीगण के नाम से बैंक रहन है, जो वादीगण के नाम से ही वादीगण के हिस्से की आराजी पर यथावत रहेगा।तथा नियमानुसार डिकी पारित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(दिव्यराज सिह चूंडावत)
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 13.5.2023 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूंडावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई
आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी
निर्णय बईजलास श्री दिव्यराज सिंह चूडावत (आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
(राष्ट्रीय लोक अदालत) सांगोद

मिसल न0143 / 2023

तारीख दायरा:– 12/12/2023

बउनवान

1. भरतराज पुत्र गौरीशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तह0 सांगोद
2. मैनका पुत्री गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0 सांगोद
3. रतनबाई पत्नी स्व0 गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण–

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

डिकी

दिनांक:– 13/5/2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री दिव्यराज सिंह चूडावत (आर ए एस) व हाजरी श्री बहादुर सिंह एडवोकेट वादी, व श्री जितेन्द्र सुमन एडवोकेट वकील प्रतिवादी न01 एवं पैरोकार सरकार/ अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री ....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम वादीगण व प्रतिवादी न01 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 51 के खसरान0 108 की 0.62 हेक्टर, खसरा न015 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 222 की 0.81हेक्टर, खसरा न0 224 की 1.00हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44हेक्टर कुल 5 किता की 3.19हेक्टर आराजी का पीढियो पुराने पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त वाद पत्र की मद न02 मे वर्णित अनुसार माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0222 की 0.81हेक्टर, खसरान0224 की 1.00हेक्टर, कुल 2 किता की1.81हेक्टर आराजी का वादीगण को बांट बराबर से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व शेष माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0 108 की 0.62हेक्टर, खसरा न0 15 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44 हेक्टर कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी का प्रतिवादीन01 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है:–

जिस्ट्रेट
- कोटा

2...

फर्द डिकी मुकदमात इब्तदाई

आर. रूल्स 6–7 जाब्जा दीवानी

निर्णय बईजलास श्री दिव्यराज सिंह चूडावत (आर ए एस) उपखण्ड अधिकारी सांगोद

(राष्ट्रीय लोक अदालत) सांगोद

मिसल न0 143 / 2023

तारीख दायरा:– 12/12/2023

बउनवान

1. भरतराज पुत्र गौरीशंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तह0 सांगोद
2. मैनका पुत्री गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0 सांगोद
3. रतनबाई पत्नी स्व0 गौरीशंकर जाति मीणा निवासीग्राम डोबडी तह0सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– वादीगण–

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडी तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

– प्रतिवादी–

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर टी एक्ट

डिकी

दिनांक:– 13/5/2023

आज यह मुकदमा वास्ते मिसाल कतई मुझ श्री दिव्यराज सिंह चूडावत (आर ए एस) व हाजरी श्री बहादुर सिंह एडवोकेट वादी, व श्री जितेन्द्र सुमन एडवोकेट वकील प्रतिवादी न01 एवं पैरोकार सरकार/ अधिवक्ता प्रतिवादी मिन जानिब मुद्दई रूबरू श्री ....मिन मुद्दायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम वादीगण व प्रतिवादी न01 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम डोबडी पटवार हल्का दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा मे खाता स0 नई 51 के खसरान0 108 की 0.62 हेक्टर, खसरा न015 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 222 की 0.81हेक्टर, खसरा न0 224 की 1.00हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44हेक्टर कुल 5 किता की 3.19हेक्टर आराजी का पीढियो पुराने पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त वाद पत्र की मद न02 मे वर्णित अनुसार माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0222 की 0.81हेक्टर, खसरान0224 की 1.00हेक्टर, कुल 2 किता की1.81हेक्टर आराजी का वादीगण को बांट बराबर से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है व शेष माल ग्राम डोबडी तहसील सांगोद के खसरा न0 108 की 0.62हेक्टर, खसरा न0 15 की 0.32हेक्टर, खसरा न0 35 की 0.44 हेक्टर कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी का प्रतिवादीन01 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है:–

जिस्ट्रेट
– कोटा

अ. वादीगण भरतराज, मैनका, रतनबाई के बांट बराबर हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजी:-

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
डोबडी	नई 51	222	0.81हेक्टर सम्पूर्ण
		224	1.00हेक्टर सम्पूर्ण

कुल 2 किता की कुल 1.81हेक्टर आराजी

ब. प्रतिवादीन01 राधेश्याम के हिस्से की बंटवारे मे प्राप्त आराजी:-

माल ग्राम	खाता स0	खसरा न0	रकबा हैक्टर
डोबडी	नई 51	108	0.62 हेक्टर
		15	0.32हेक्टर
		35	0.44हेक्टर

कुल 3 किता की 1.38हेक्टर आराजी

उक्त घोषणा के अनुक्रम मे आराजी का बंटवारा किया जाकर राज लगान प्रथक प्रथक अंकन किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है।, इस आशय की घोषणा, विभाजन व इन्द्राज दुरस्ती की डिकी सादिर पारित की जाती है। उक्त आराजी पर वादीगण के नाम से बैंक रहन है, जो वादीगण के नाम से ही वादीगण के हिस्से की आराजी पर यथावत रहेगा।

(दिव्यराज सिंह चूंडावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद